छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा | प्रथम सत्र | अंक-05

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 जनवरी, 2014

(पौष-20, शक संवत 1935)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.02 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1.पत्रों का पटल पर रखा जाना

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) ने -

(1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक -महालेखापरीक्षक से प्राप्त-

(i) वित्त लेखे खण्ड 1 एवं खण्ड 2 वर्ष 2012-2013 (छत्तीसगढ़ शासन) तथा

(ii) विनियोग लेखे वर्ष 2012-2013 (छत्तीसगढ़ शासन)

(2) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) की धारा 25 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012,

(3) श्री अमर अग्रवाल, श्रम मंत्री ने - भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 (क्रमांक 27 सन् 1996) की धारा 27 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013 तथा निरीक्षण प्रतिवेदन एवं मंडल की कार्यवाही, तथा

(4) श्री प्रेमप्रकाश जी पाण्डेय, जनशक्ति नियोजन मंत्री ने- छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 17 सन् 2013) की धारा 27 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 9-41/2013/जन.नि./42, दिनांक 3 अक्टूबर, 2013 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता) विनियम, 2013, **पटल पर रखा।**

2. वर्ष 2013-2014 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि -अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी । परंपरानुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उन पर एक साथ चर्चा होती है। अतः मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वे सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दें।

(सदन द्वारा सहमति दी गई।)

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि :-

दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 39, 41, 45, 47, 48, 53, 54, 55, 56, 58, 64, 66, 67, 68, 69, 71, 79, 80, 81, 82 एवं 83 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर एक हजार आठ सौ छिहत्तर करोड़, सड़सठ लाख, चालीस हजार, छः सौ तिरसठ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये।

(प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।)

श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री शिवरतन शर्मा, धनेन्द्र साहू

3. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि -नव-निर्वाचित माननीय सदस्यों को विधान सभा कार्य प्रणाली एवं संसदीय प्रक्रिया से भिज्ञ कराने हेतु दिनांक 1 फरवरी एवं 2 फरवरी, 2014 को विधान सभा परिसर स्थित समिति कक्ष क्रमांक-2 में प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। प्रबोधन कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी पत्रक भाग-दो द्वारा पृथकतःजारी की जा रही है।

समस्त माननीय सदस्य इस प्रबोधन काार्यक्रम में अवश्य सम्मिलित हों।

4. वर्ष 2013-2014 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान(क्रमशः)

सर्वश्री देवजी पटेल, अमरजीत भगत,

(सभापति महोदय (श्री देवजी पटेल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री तोखन साहू, केशव चंद्रा, श्रीमती देवती कर्मा, श्री अवधेश सिंह चंदेल, डॉ. विमल चोपड़ा, सर्वश्री बृहस्पत सिंह, रोशनलाल, श्रीमती चम्पादेवी पावले, श्रीमती सरोजनी बंजारे, सर्वश्री लाभचंद बाफना, अरूण वोरा, श्रीचंद सुंदरानी, भोलाराम साहू, श्रीममी रूप कुमारी चौधरी, डॉ.सनम जांगडे,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए ।)

सर्वश्री राजेन्द्र कुमार राय, राजमहंत सावंलाराम डाहरे एवं श्री टी.एस.सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(अनुपूरक अनुदान मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2014 (क्रमांक-1 सन् 2014)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2014 (क्रमांक-1 सन् 2014) का पुरःस्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खंड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2014 (क्रमांक-1 सन् 2014) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

6. संकल्प

"यह सदन भारत के प्रज्ञा पुरूष स्वामी विवेकानंद की सार्धशती के अवसर पर मानवता के प्रति उनके योगदान को श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हुए यह संकल्प करता है कि समस्त छत्तीसगढ़वासी उनके जीवन और आदर्शों के प्रति अगाध श्रद्धा बनाए रखेंगे।"

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने संकल्प प्रस्तुत किया ।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री टी.एस.सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष, श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय-राजस्व मंत्री,

(सभापति महोदय (श्री देवजी पटेल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, नवीन मारकण्डेय,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए ।)

सर्वश्री सियाराम कौशिक, (डा.) खिलावन साहू, अरूण वोरा, अशोक साहू, श्री बृजमोहन अग्रवाल-कृषि मंत्री, श्री देवजी भाई पटेल,

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प पर माननीय अध्यक्ष ने उद्‌गार व्यक्त किए कि - सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह जी ने एक महत्वपूर्ण संकल्प रखा है कि "यह सदन भारत के प्रज्ञा पुरूष स्वामी विवेकानंद की सार्धशती के अवसर पर मानवता के प्रति उनके योगदान को श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हुए यह संकल्प करता है कि समस्त छत्तीसगढ़वासी उनके जीवन और आदर्शों के प्रति अगाध श्रद्धा बनाए रखेंगे।" इस संकल्प को इस सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रखे

जाने का आशय पूज्य स्वामी विवेकानन्द जी के विचारों को आमजनों के हृदय तक सुगमता से पहुंचाना है । स्वामी विवेकानन्द जी एक व्यक्ति नहीं अपितु विचारधारा का नाम है, एक वैचारिक क्रांति एक संकल्प का नाम है **"स्वामी विवेकानन्द जी ने यह कहा था कि अतीत के गर्भ से ही भविष्य का निर्माण होता है।"** इस बात को ध्यान में रखते हुये हम इस संकल्प के माध्यम से अपने अतीत से जुड़ सकेंगे।

यह हमारे लिए स्मरण योग्य है कि छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि में और राजधानी रायपुर में स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण समय को व्यतीत किया था। समृद्ध सनातन संस्कृति और हमारे आध्यात्मिक मूल्यों और सिद्धांतों को स्वामी जी ने अपनी प्रखर बौद्धिक चेतना के माध्यम से विश्व मंच पर जो पहचान दी है वह हम सबके लिए प्रेरणादायी गौरव का प्रसंग है।

विश्व के अनेक देशों के भ्रमण और वहां भारतीय आध्यात्मिक दर्शन की तार्किक व्याख्या करने के उपरांत स्वामी जी ने संपूर्ण भारत की यात्रा कर सुसुप्त सनातन चेतना को जागृत करके राष्ट्रीयता के अलख को जगाते हुए उन्होंने **"उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत"** का संदेश दिया अर्थात् उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। स्वयं को पहचानों आत्म शक्ति को जागृत करने का जो प्रयास स्वामी विवेकानंद जी ने किया उन प्रयासों का भारत वर्ष सदैव-सदैव ऋणी रहेगा।

यह भी उल्लेखनीय है कि स्वामी जी के भावना प्रधान व्याख्यानों में हमारे वेदांत का सच्चा स्वरूप उद्घाटित हुआ, उनके द्वारा राष्ट्र निर्माण, चरित्र उत्थान और व्यक्ति निर्माण के विषय में दिये गये विचार आज भी प्रासंगिक हैं और इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए यह महत्वपूर्ण संकल्प सदन के द्वारा सर्वसम्मति से पारित करेंगे।

आइये हम सब संकल्प लें कि हम स्वामी विवेकानंद जी के उच्च आदर्शों और सिद्धांतों को आत्मसात करते हुए उसे व्यवहारिक रूप देने का प्रयास करेंगे और अपने राष्ट्र को समग्र क्षेत्रों में अधिक समृद्ध, सक्षम और सामर्थवान बनायेंगे।

मैं मान. सदन के नेता, नेता प्रतिपक्ष एवं समस्त मान. सदस्यों को स्वामी विवेकानंद जी की सार्धशती के अवसर पर उन्हें स्मरण करते हुए सर्वसम्मति से संकल्प को पारित करने के निश्चय पर बधाई देता हूं।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

सायं 5.16 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनाँक 3 फरवरी, 2014 (माघ 14, शक संवत् 1935) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा